Real Estate Regulatory Authority Madhya Pradesh
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण मध्यप्रदेश
रेरा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल दूरभाष-0755-2556760
Website:- www.rera.mp.gov.in, Email id- secretaryrera@mp.gov.in

क्रमांक 2021/II-R/A-05/F46/328 भोपाल, दिनांक 01/02/2022

प्रति,

श्री अभिषेक चन्द्रा कवाडिया,
सम्प्रवर्तक, श्री परिसर,
16, मीरा बाई पथ, बड़नगर,
उज्जैन (म०प्र०) 456771

विषय: परियोजना- श्री परिसर, उज्जैन (REF. No. 291119654492) के संबंध में।

- O -

कृपया विषयांकित आपके आवेदन का स्मरण करें।

प्राधिकरण के आदेशानुसार मुझे यह सूचित करने के निर्देश हुए है कि :-

" परियोजना **श्री परिसर, उज्जैन** का पंजीकरण सशर्त मान्य किया गया है। परियोजना को पंजीयन क्रमांक **P-BNG-22-3136** आवंटित किया गया है। ***परियोजना प्रमाण पत्र एवं आदेश की प्रति संलग्न है।***"

कृपया उपर्युक्तानुसार सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

(नीरज दुबे)
सचिव
म०प्र० भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

Real Estate Regulatory Authority Madhya Pradesh | भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण मध्य प्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, मेन रोड नं. 1, भोपाल-462011

प्ररूप "ग"

{नियम 6 (1) देखिए)}

परियोजना का पंजीयन प्रमाण-पत्र

यह पंजीयन अधिनियम की धारा 5 के अधीन निम्नलिखित परियोजना को परियोजना पंजीयन क्रमांक P-BNG-22-3136 के अधीन मंजूर किया जाता है :-

परियोजना – श्री परिसर, बड़नगर, उज्जैन

(परियोजना पते को सम्मिलित करते हुए परियोजना के ब्यौरे विनिर्दिष्ट कीजिए):

1. (व्यक्तिगत की दशा में) श्री/~~श्रीमती~~ अभिषेक चन्द्र कावड़िया

पुत्र श्री/~~श्रीमती~~ सुरेश कावड़िया

तहसील बड़नगर जिला उज्जैन राज्य मध्यप्रदेश

या

(फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी की दशा में) ....

फर्म/सोसाइटी/कंपनी सक्षम प्राधिकारी ..../........../.......... में इसका पंजीकृत कार्यालय/कारोबार का प्रमुख स्थान होगा।

2. यह पंजीयन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन मंजूर किया जाता है, अर्थात् -

(एक) सम्प्रवर्तक "उपबंध-क" में यथा उपबंधित के साथ विक्रय हेतु करार करेगा।

(दो) सम्प्रवर्तक धारा 17 के अनुसार कॉमन क्षेत्र या अपार्टमेंट के, जैसी भी स्थिति हो, आबंटिती के संघ या आबंटिती के पक्ष में हस्तांतरण विलेख को निष्पादित या पंजीकृत करेगा।

(तीन) सम्प्रवर्तक धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (1) के उपखण्ड (घ) के अनुसार निर्माण लागत तथा इस प्रयोजन के लिए उपयोग की जानेवाली भूमि की लागत को पूरा करने के लिए सम्प्रवर्तक द्वारा वसूली गई रकम का सत्तर प्रतिशत अनुसूचित बैंक में बनाए रखने के लिए अलग खाते में जमा करेगा।

(चार) पंजीयन दिनांक 20-01-2022 से शुरू करते हुए 30-06-2024 के साथ समाप्त करते हुए .... वर्ष की कालावधि के लिए वैध होगा, यदि अधिनियम की धारा 7 के साथ पठित धारा 8 के अनुसार रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण द्वारा नवीकृत नहीं कराया जाता है।

(पांच) सम्प्रवर्तक इसके अधीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों को अधिनियम के उपबंधों के साथ लागू करेगा।

(छः) सम्प्रवर्तक क्षेत्र में लागू जहां परियोजना का विकास किया जा रहा है तत्समय किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।

3. यदि उक्त उल्लिखित शर्तें सम्प्रवर्तक द्वारा पूरी नहीं की जाती हैं, तो विनियामक प्राधिकारी अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अनुसार इसमें पंजीयन मंजूरी को प्रतिसंहृत करते हुए सम्प्रवर्तक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा।

4. उक्त परियोजना प्रकरण प्राधिकरण के आदेश में अंकित शर्तों के अध्यधीन।

दिनांक : 20-01-2022

स्थान : भोपाल

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण

भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण मध्यप्रदेश Madhya Prades REAL ESTATE REGULATORY AUTHORITY

म-प्र-भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, भोपाल

आदेश–पत्रिका

प्रोजेक्ट का नामः श्री परिसर, बड़नगर, उज्जैन

प्रोजेक्ट आई डी: 291119654492

कार्यवाही की तारीख, स्थान	आदेश	प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
19.01.2022	प्रोजेक्ट का नाम – श्री परिसर, बड़नगर, उज्जैन। संप्रवर्तक का नाम – श्री अभिषेक चन्द्र कावड़िया, बड़नगर, उज्जैन। उपसचिव एवं पंजीयन अधिकारी द्वारा लेख किया गया है कि बैंक खाता संप्रवर्तक के नाम पर है अतः परियोजना के नाम पर खाता खोलने को छोड़कर शेष औपचारिकताएं पूर्ण हैं एवं पंजीयन आवेदन मान्य किये जाने की अनुशंसा की गई है। आवेदक श्री अभिषेक चन्द्र कावड़िया, बड़नगर, उज्जैन, हैं, जो कि व्यक्तिगत श्रेणी के आवेदक हैं, उनके द्वारा, परियोजना श्री परिसर, बड़नगर, उज्जैन का पंजीयन भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक द्वारा, भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 धारा 4 (2) एवं म.प्र. भू–संपदा (विनियिमन एवं विकास) नियम 3 के अंतर्गत पंजीयन अधिकारी की टीप के अनुसार आवेदक द्वारा परियोजना के नाम पर बैंक खाता छोड़कर शेष अपेक्षित परियोजना विवरण, सक्षम प्राधिकारी की प्रतियां एवं शपथ पत्र समर्थित घोषणाएं प्रस्तुत की गई हैं। प्राधिकरण की समीक्षा में कॉम्यूनिकेशन दिनांक 07.07.2021 से वांछित शेड्यूल सी–1 डाक्यूमेंट में अपलोड होना नहीं पाया गया। परियोजना ग्राम– भटपचलाना, तहसील– बड़नगर एवं जिला– उज्जैन के खसरा क्र. 1449 कुल रकबा– 1.0300 हैक्टेयर पर प्रस्तावित हैं। पंजीयन अधिकारी की संक्षेपिका अनुसार भूमि आवेदक के स्वामित्व की है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र फार्म बी के अनुसार भाररहित है। परियोजना नवीन हो कर भूखण्ड विकास से संबंधित है जिसमें 1.0300 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रुपये 112.21 लाख की लागत से विकसित की जानी हैं, जिसमें 66 भूखण्ड विकसित किये जाने हैं। पंजीयन अधिकारी की परीक्षण टीप के अनुसार सिर्फ बैंक खाता परियोजना के नाम पर खोले जाने का विवरण एवं कॉम्यूनिकेशन दिनांक 07.07.2021 से वांछित शेड्यूल सी–1 प्रस्तुत नहीं किया जाना पाया गया है। अतः उपरोक्त को छोड़कर शेष वांछित औपचारिकताएं पूर्ण होने से पंजीयन हेतु विचाराधीन आवेदन अधिनियम की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर स्वीकार किया जाता है। परियोजना की पूर्णता तिथि आवेदन में दर्शाये अनुसार दिनांक 30.06.2024 रहेगी। अधिनियम की धारा 11 एवं नियम 9, 14, 15, 16 में वर्णित सम्प्रवर्तक के कृत्य एवं कर्त्तव्यों का पालन सम्प्रवर्तक द्वारा किया जाएगा। 1. सम्प्रवर्तक अधिनियम की धारा 4 (2)(ठ)(ई) के अनुसार आवंटितियों से इस भू–संपदा परियोजना के लिये समय–समय पर वसूल की गई रकमों का 70% निर्माण के खर्चों एवं भूमि की लागत को पूरा करने के लिये किसी अनुसूचित बैंक में पृथक खाता खोलेगा और उस खाते में जमा रकम सिर्फ इस परियोजना में प्रयोजन के लिये ही उपयोग कर सकेगा। सम्प्रवर्तक इस प्रकार खाता खोलकर जानकारी प्राधिकरण को 15 दिवस में उपलब्ध करायेगा। 2. तैयार की जा रही यूनिटों का विक्रय अनुबंध म.प्र. भू–सम्पदा (विनियिमन एवं विकास) नियम, 2017 के नियम 9 में उल्लेखित एनेक्सचर–ए अनुसार होगा तथा आवंटितियों द्वारा पेमेंट शेड्यूल परशिष्ट सी–1 अनुसार होगा एवं 15 दिवस के अंदर प्राधिकरण के पोर्टल पर अपलोड करें। आई.टी. ऑपरेटर ऑनलाईन प्रविष्टि करे एवं सचिव प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में अनुवर्ती कार्यवाही की जाये।	

(एस.एस. राजपूत)
सदस्य

(ए.पी. श्रीवास्तव)
अध्यक्ष